

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

**<sup>1</sup>[Rule 55A: Tax Invoice or bill of supply to accompany transport of goods**

The person-in-charge of the conveyance shall carry a copy of the tax invoice or the bill of supply issued in accordance with the provisions of rules 46, 46A or 49 in a case where such person is not required to carry an e-way bill under these rules.]

---

---

<sup>1</sup> Rule 55A inserted by Noti. No. 3/2018-Central Tax, dt. 23-01-2018 w.e.f. 23-01-2018.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

**1[नियम 55क : माल के अंतरण के साथ आपूर्ति का कर बीजक या प्रदाय का बिल**

वाहन के भार साधक व्यक्ति नियम 46, 46क या यथास्थिति नियम 49 के उपबंधों के अनुसरण में जारी आपूर्ति के कर बीजक या प्रदाय का बिल की प्रति साथ रखेगा यदि ऐसे व्यक्ति के लिए इन नियमों के अधीन ई-वे बिल साथ में रखना अपेक्षित नहीं है।]

---

---

1 अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.01.2018 द्वारा नियम 55क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 23.01.2018)।